मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी-3-10/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2002

014438

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
~~समस्त कलेक्टर~~,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

9 AUG

विषय :—वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान के विचारण हेतु गठित अनुवीक्षण/स्क्रीनिंग समिति तथा शासकीय सेवकों के अन्य मामलों में गठित समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने बावत्।

शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामलों में विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने का प्रावधान निम्नानुसार है :—

"**विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व :**—यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/ छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।"

2. विभिन्न विभागों के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ संवर्गों में द्विस्तरीय/त्रिस्तरीय/चतुर्स्तरीय वेतनमानों की व्यवस्था है। इन वेतनमानों में, भरती नियमों में निर्धारित सेवावधि पूर्ण करने वाले, शासकीय सेवकों की उपयुक्तता के निर्धारण/चयन के लिये विभागीय पदोन्नति समितियों के अनुरूप ही समितियों का गठन किया जाता है।

3. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त समितियों में भी विभागीय पदोन्नति समितियों के समान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के एक सदस्य को सम्मिलित किया जावे और समिति के सदस्यों की संख्या उक्त सीमा तक बढ़ाई जावे।

4. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों की सेवा आदि के अन्य मामलों (यथा क्रमोन्नति/स्थायीकरण/परिवीक्षा समाप्ति/50 वर्ष की आयु अथवा/एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों की छानबीन आदि) के लिये गठित की जाने वाली समितियों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जावे और समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जावे।

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का समुचित पालन करें तथा इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करावे।

13/8/02

F 13/8

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.